

प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 11.09.2024

धोखाधड़ी द्वारा चार गुना कूटरचित करेन्सी का प्रलोभन देकर 02 करोड़ रूपयों के असली नोटों का गबन करने के आरोप में 01 नफर 15 हजार ईनामियां वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी का 01,02,000 रूपये बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष थाना सहजनवां के नेतृत्व में उ0नि0 अभिषेक कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 456/2024 धारा 316(2),351(2),318(4),338,336(3),340(2),352,317(2),61(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित/ ईनामियां अभियुक्त विरेन्द्र यादव को ठगी का 01,02,000/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को जमीन दिलाने के नाम पर 02 करोड़ रूपया नगद ले लिया गया किन्तु जमीन नहीं दिलवायी गयी। वादी मुकदमा द्वारा जमीन दिलाने के लिए कहा गया तो उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामनवल यादव निवासी गाडर थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 456/2024 धारा 316(2) ,351(2) ,318(4) ,338 ,336(3) ,340(2) ,352,317(2) ,61(2) भा0न्या0सं0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

ठगी का 01,02,000/- रूपये (एक लाख दो हजार रूपये)

गिरफ्तार की टीम-

- उ0नि0 अभिषेक कुमार राय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- उ0नि0 आशीष कुमार सिंह थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- कां0 अरविन्द नाविक थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- कां0 जितेन्द्र गौड़ थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- म0कां0 पूजा यादव थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर